

गायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खूनी जिला जोधपुर

संख्या :

SV/2022

प्रार्थीगण

अप्रार्थी

कर खां वगैराह

बनाम

राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार झंवर

सम मुकदमा-राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.कार.अधिनियम

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अटकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------	-----------------------------------	--

2022 प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी हो व तहसीलदार झंवर को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 27.06.2022 को पेश हो।

2022 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधि० पेश किया गया। जिसको दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी किया गया व तहसीलदार झंवर से मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह जाहिर किया कि ग्राम ईमामनगर तहसील झंवर के खसरा नम्बर 81 रकबा 22.6624 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 80/1 रकबा 1.6592 हेक्टर कृषि भूमि का सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार एवं मौका फर्द दिनांक 26.05.2022 में अनुसार पत्थरगढी करने का निवेदन किया।

तहसीलदार झंवर भू0अ0 में पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/238 दिनांक 27.06.2022 के अनुसार मौका रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 के आधार पर ग्राम ईमामनगर में खसरा नम्बर 81 रकबा 22.6624 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 80/1 रकबा 1.6592 हेक्टर में हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111.128 भू0 राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झंवर को आदेश दिये जाते है कि मौका फर्द दिनांक 26.05.2022 के अनुसार ग्राम ईमामनगर के खसरा नम्बर 81 रकबा 22.6624 हेक्टर एवं व 80/1 रकबा 1.6592 हेक्टर की पैमाईश कर पत्थरगढी की जावें।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दफ्तर दाखिल है।

24
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
खूनी